"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 767] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर 2019 — कार्तिक 22, शक 1941

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-16/2007/तक. शि./42. — छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गैर-अनुदान प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में शुल्क के निर्धारण एवं प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के कार्यकरण, निर्बंधन तथा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ गैर-अनुदान प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में शुल्क के निर्धारण एवं प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के कार्यकरण, निर्बंधन तथा शर्तों के लिए विनियम, 2019 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008);

(ख) **"प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति"** से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली शुल्क के निर्धारण के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(ग) **"शुल्क"** से अभिप्रेत है शिक्षण शुल्क तथा विकास प्रभार सहित समस्त शुल्क।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

3. **प्रयोज्यता.**– ये विनियम, अधिनियम के अधीन आने वाली व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं पर लागू होंगे।

4. **शुल्क के निर्धारण के लिए मानदण्ड.**– समिति निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के पश्चात्, विहित रीति में शुल्क निर्धारित करेगीः–

(क) गैर–अनुदान प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति।

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति।

(ग) भूमि और भवन का मूल्य।

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेत्तर कर्मचारीवृन्द और उपस्कर।

(ङ) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय।

(च) व्यावसायिक संस्था के संवर्धन और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य।

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारकः

परंतु यह कि समिति, इन क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संवर्धन के लिए पिछड़े/अविकसित क्षेत्र के विकास के लिए अधिमान प्रत्यायित पाठ्यक्रम या गुणवत्ता प्रमाणन जैसे आई.एस.ओ. 9002 इत्यादि या अधिमान को प्रोत्साहन देने के लिए भी विनिश्चय कर सकेगी।

5. **शुल्क निर्धारण की प्रकिया.**– (1) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारंभ में, अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में, समिति अपने द्वारा निर्धारित तिथि तक विज्ञापन प्रकाशित कर, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में उनका प्रस्ताव मंगायेगी। परन्तु यदि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था को समुचित प्राधिकरण से पूर्वोक्त तारीख, जैसा कि समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के पश्चात् अनुमति प्राप्त होती है, तो वह ऐसी अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर समिति से संपर्क कर, अंतरिम शुल्क के निर्धारण के लिये अपना प्रस्ताव आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी तथा ऐसे प्रकरणों में, इसकी अंतिम शुल्क संरचना का निर्धारण, समिति द्वारा इस निमित्त अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, बाद में समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) गैर–अनुदान प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था को समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, समिति द्वारा विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक, उपरोक्त उप–नियम (1) में उपबंधित अनुसार उनका प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा। परन्तु यदि संस्था एक से अधिक पाठ्यक्रम का संचालन करती है, तो उक्त संस्था द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पृथक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ऐसी संस्था से अपेक्षा की जायेगी।

(3) समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगेः–

(एक) विनियामक निकाय द्वारा जारी प्राधिकार/अनुमति पत्र;

(दो) सोसायटी से संबंधित दस्तावेज एवं सूचनायें और उसकी उप–विधियां;

(तीन) व्यावसायिक शिक्षण संस्था को प्रारंभ करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन की प्रति;

(चार) संस्था के लिये चिन्हित क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक अधोसंरचना सुविधा, उसका स्वामित्व, भवन, जिसमें कक्षाओं की संख्या, प्रशासनिक भवन, अभ्यान्तर खेल (यदि कोई हो), खेल का मैदान, प्रयोगशाला, सामान्य उपयोगिता आदि का विवरण, स्थल नक्शा सहित;

(पांच) ग्रन्थालय सुविधाः विषयवार, संकायवार पुस्तकों की संख्या तथा सामान्य अध्ययन हेतु;

(छः) पठन कक्ष सुविधाः संस्था में ली जाने वाली दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, व्यावसायिक पत्रिकाओं एवं साहित्य की संख्या;

(सात) प्रयोगशाला सुविधायेंः प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों एवं उपस्करों से संबंधित सूचना;

(आठ) शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक सहायक अमलाः कनिष्ठ, वरिष्ठ एवं प्रवर वेतनमान (पृथक रूप से दर्शित की जाये) में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक की संख्या एवं नाम, उनकी शैक्षणिक अर्हता एवं बायोडाटा, वेतन एवं भत्ते और कुल परिलाभ, उनके पैन एवं आधार नम्बर सहित;

(नौ) यदि किसी राज्य उद्यम/निगमित निकाय, जो कि उसी प्रकार के उत्पादन से सहयोग प्राप्त करता हो, तो उसका विवरण;

(दस) वित्तीय स्थितिः

(क) एक वर्ष के लिए संस्था का प्रस्तावित बजट;

(ख) संसाधनों के वार्षिक रख–रखाव के लिए अपेक्षित राशि;

(ग) प्रयोगशालाओं का संवर्धन, विकास तथा उन्नयन हेतु अपेक्षित राशि;

(घ) निक्षेप– दोनों स्थायी तथा चालू खाता, जो कि व्यावसायिक शिक्षण संस्था के नाम से हो, जिसमें वित्तीय संस्था तथा बैंक का नाम हो;

(ङ) वित्तीय स्त्रोत; एवं

(च) लिया गया ऋण, यदि कोई होः

(अ) बैंक;

(ब) अन्य किसी वित्तीय संस्था;

(स) अन्य कोई स्त्रोत से,

लिये गये ऋण के निर्बंधन एवं शर्तों का उल्लेख हो तथा उस पर देय ब्याज का भी उल्लेख हो।

(ग्यारह) संस्था का तुलन पत्र (बैलेंस सीट) एवं आय–व्यय लेखे, प्रारम्भ होने की तिथि से, जो कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित हो;

(बारह) संबंधित अवधि के संबंध में आयकर विभाग को प्रस्तुत तुलन पत्र (बैलेंस सीट) एवं लेखे;

(तेरह) ऐसे अन्य विवरण, जो कि समिति द्वारा समय–समय पर मांगे जायें।

(4) उपरोक्त दस्तावेज तथा प्रस्ताव, संस्था द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिये गये शपथपत्र द्वारा समर्थित होगी।

(5) संस्था में संचालित एक या एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क निर्धारण करने के पूर्व, समिति, लेखा के निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, अपने स्वयं की प्रक्रिया शामिल करेगी और संस्था को सुनवाई का अवसर देगी।

(6) संस्था, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु शुल्क के निर्धारण के लिये अपने प्रस्ताव के साथ साथ समिति द्वारा यथा निर्देशित रीति में ऐसी प्रक्रिया शुल्क, जैसा कि समिति द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये, का भुगतान करेगा।

(7) संस्था का निरीक्षण तथा निरीक्षण दल का गठनः–

(एक) समिति, शुल्क प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अपने विवेकानुसार और यदि वह उचित समझे, स्वयं या निरीक्षण दल का गठन कर संस्था का निरीक्षण करेगी ताकि अन्य बातों के साथ साथ, संस्था द्वारा अपने प्रस्तावों में दी गई तथ्यों तथा विवरणों का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल पर ही हो सके।

(दो) निरीक्षण के प्रयोजन हेतु समिति एक दल का गठन करेगी जिसे ''निरीक्षण दल'' कहा जायेगा, जिसका गठन अधिमानतः जहां तक सम्भव हो, निम्नानुसार किया जायेगाः–

(क) समिति द्वारा अनुमोदित पैनल में से एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राध्यापक स्तर का अधिमानतः प्रख्यात शिक्षाविद् हो तथा उस पाठ्यक्रम से संबंधित हो, जिसके लिये संस्था द्वारा शुल्क निर्धारण की मांग की गई हो, जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा, के साथ दल संलग्न हो और वह प्रमुख के रूप में कार्य करेगा।

(ख) समिति द्वारा अनुमोदित पैनल में से सदस्य वित्त/चार्टर्ड एकाउंटेंट, जो शिक्षण संस्था के लेखों के अंकेक्षण का प्रख्यात, बेहतर जानकार हो, जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा, समिति का सदस्य होगा।

(ग) समिति के सचिवालय से एक अधिकारी, जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा, जो कि निरीक्षण दल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(घ) ऐसे कोई अन्य सदस्य/सदस्यों जिसे उपयुक्त समझा जाये, की नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी।

6. **निरीक्षण दल की कार्य प्रणाली.**– (1) निरीक्षण दल, संस्था से ऐसे अभिलेखों की मांग लिखित में कर सकेगा, जैसा कि मांग करने हेतु आवश्यक समझे, ऐसी मांग को ऐसा माना जायेगा कि समिति द्वारा किया गया था।

(2) निरीक्षण दल, ऐसे व्यक्तियों के मौखिक/लिखित साक्ष्य, उनके अभिमत अभिलिखित कर सकेगा जो संस्था के कार्यकलाप से परिचित हों अथवा संबंधित हों। मौखिक साक्ष्य, निरीक्षण दल द्वारा अभिलिखित की जायेगी तथा उसके प्रतिवेदन के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(3) शिक्षक/छात्र संगठन को निरीक्षण दल द्वारा उसके समक्ष प्रति प्रस्तुतिकरण करने हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे संगठन को सुनवाई का अवसर भी निरीक्षण दल द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

(4) निरीक्षण समाप्ति के पश्चात् निरीक्षण दल, एएफआरसी के सचिव/विशेष कर्तव्य अधिकारी के माध्यम से समिति के सचिवालय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसे एएफआरसी को अपनी टीप सहित प्रस्तुत करेगा।

(5) अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, आदेश दे सकता है कि निरीक्षण दल का प्रतिवेदन एवं इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन इस प्रयोजन हेतु समिति द्वारा नियुक्त एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त द्वारा किया जाये।

(6) निरीक्षण दल के प्रतिवेदन एवं इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों तथा एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त का सत्यापन प्रतिवेदन और समिति के सचिवालय द्वारा प्रस्तुत टीप पर भी विचार करने के पश्चात्, समिति विनिश्चय करेगी कि उसके द्वारा संचालित किस पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का न्यायपूर्ण रीति में संस्था हेतु कितना शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

(7) समिति को उन गैर–अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं, जिन्होंने उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, के लिये ऐसी शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

7. **संस्था, निरीक्षण दल आदि की डेटा सूचनाओं की जांच के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति.**– (1) समिति, संस्था द्वारा दी गई विभिन्न डेटा/सूचनाओं की जांच के लिये एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त, संस्था द्वारा प्रस्तुत डेटा सूचना, उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ के साथ और प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ साथ लेखों की, यदि संस्था, ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा संचालित हो, की सत्यता की जांच करेगा, समिति के अनुमोदन के पश्चात्, संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ साथ उनके प्रस्ताव तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों अथवा सामग्रियों, जैसा कि समिति निर्देशित करे अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट आवश्यक समझे, को भी विचारण में लेंगे।

(3) स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिये, एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त, एक से अधिक संस्था संचालित करने वाले सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा उपगत सामान्य व्यय का मूल्यांकन करेगा। यदि संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना/डेटा/दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर कोई अनियमितता, कमी या त्रुटि पाई जाती है तो एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त के प्रतिवेदन में, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(4) एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, समिति द्वारा ज्ञात अनियमितता, कमी या अन्यथा के लिये समिति, अपने विवेक पर, संबंधित संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट का ध्यान आकृष्ट करेगी और इसके संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु ऐसी संस्था से कह सकेगी। यह और कि यदि समिति की राय हो कि अनियमितता, कमी या चूक इस स्वरूप या आकार का है, जो शुल्क निर्धारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को दूषित करता है, तो संस्था के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए ऐसा शुल्क निर्धारित कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे, जिसमें सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था पर दण्डनीय कार्यवाही सहित अभियोजन भी है।

8. **शुल्क एवं अन्य प्रभारों का निर्धारण.**– (1) समिति, निर्दिष्ट अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, दस्तावेज एवं एएफआरसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट या सदस्य वित्त आदि के प्रतिवेदन के आधार पर, संस्था द्वारा प्रभार्य योग्य शुल्क का निर्धारण करेगी, जिसके लिये अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखा जायेगा। समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के लिये निम्नलिखित घटक होंगे।

(क) शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस);

(ख) ग्रोथ तथा विकास शुल्क;

(ग) रजिस्ट्रीकरण फीस;

(घ) बुक–बैंक से अंशदान;

(ङ) बस शुल्क/प्रभार;

(च) प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कैरियर गाइडेंस तथा प्लेसमेंट सेल;

(छ) चिकित्सा बीमा शुल्क;

(ज) खेलकूद शुल्क;

(झ) सांस्कृतिक गतिविधियों की शुल्क;

(ञ) परिचय–पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड शुल्क;

(ट) छात्रावास कक्ष भाड़ा (केवल हॉस्टलर्स के लिए);

(ठ) मैस चार्ज (केवल हॉस्टलर्स के लिए);

(ड़) संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए कॉशनमनी;

(ढ़) विश्वविद्यालय शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये गये अनुसार लागू होगी;

(ण) कोई अन्य शुल्क जो समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाये।

(2) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, शुल्क, निक्षेप या उसके द्वारा ली गई किसी अन्य प्रभार हेतु वसूल की गई सभी राशियों के लिये अधिकारिक रसीद अनिवार्य रूप से जारी करेगा, जिसमें उस शीर्ष का उल्लेख होगा, जिसके अधीन उसे जारी किया गया था। उपरोक्त वर्णित अनुसार रसीद जारी किये बिना, विद्यार्थियों से ली गई कोई भी राशि, केपीटेशन फीस की राशि मानी जायेगी, जिसके लिये संस्था के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(3) कोई भी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, एक सेमेस्टर शुल्क से अधिक तथा अन्य प्रभार विद्यार्थियों से नहीं ले सकेगा। विद्यार्थियों को यह भी स्वतंत्रता होगी कि वह वार्षिक शिक्षण शुल्क दो किश्तों में चुकायें, परन्तु यदि संस्था एक वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक लेता है तो माना जायेगा कि केपीटेशन फीस लिया गया है, जिसके लिए संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) प्रत्येक संस्था के लिये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी देय शुल्क, समिति द्वारा विहित की जायेगी और वह सामान्यतया तीन वर्षों की कालावधि के लिए बंधनकारी होगी, किन्तु

ऐसी परिस्थितियों जैसे कि अपवादिक वेतन पुनरीक्षण, शासकीय नीति में परिवर्तन की दशा में संस्था, कारण दर्शाते हुए पुनः (फ्रेश) आवेदन कर सकेगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क, उस शैक्षणिक सत्र में संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिये लागू होगा तथा इसका पुनरीक्षण, सामान्यतया उक्त संस्था में उसके पाठ्यक्रम पूरा होने तक नहीं किया जायेगा।

9. **केपिटेशन फीस प्रभारित किया जाना.**– तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के लिए होते हुए भी, किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी संस्था का भारसाधक हो या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, द्वारा किसी विद्यार्थी से, अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश अथवा ऐसी संस्था में उच्चतर मानक या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के फलस्वरूप कोई केपिटेशन फीस नहीं मांगी जायेगी या संग्रहित नहीं की जायेगी।

10. **शिकायतों का निराकरण तथा दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही.**– समिति, इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश के संबंध में, निर्धारित शुल्क से अधिक केपीटेशन फीस या शुल्क के संग्रहण के लिये तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्था के किसी भाग पर प्रवेश या केपीटेशन फीस आदि के संग्रहण के लिये उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के सबूत पर शिकायत सुन सकेगी, वह संबंधित व्यक्ति से संग्रहित किसी आधिक्य राशि को लौटाने हेतु समुचित अनुशंसा कर सकेगी तथा उस पर दस लाख रूपये तक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु भी शासन को अनुशंसा कर सकेगी और ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर शासन जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा तथा उसे संग्रहित कर सकेगा अथवा कोई अन्य उपयुक्त कार्यवाही, जैसा कि वह उचित समझे, निर्णित कर सकेगा। इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने की राशि, ब्याज की राशि सहित, की वसूली उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार भू–राजस्व के बकाया की होती है।

11. **समिति के कार्य, निर्बंधन तथा शर्तें.**– (1) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य, ऐसे वेतन/मानदेय, परिलिब्धियों, विशेषाधिकार आदि (राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित) के हकदार होंगे, जो कि निम्नानुसार होगाः–

(क) समिति के अध्यक्ष को उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद का वेतन, महगांई भत्ता एवं क्षतिपूर्ति भत्ता, (प्राप्त पेंशन को घटाकर), की पात्रता होगी।

(ख) अध्यक्ष को उनके पद के समकक्ष पदाधिकारियों के समान किराए के आवास की पात्रता होगी।

(ग) एएफआरसी के गैर–शासकीय सदस्य को प्रति माह शासन द्वारा यथा विहित समेकित वेतन की पात्रता होगी तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद का वेतन, (प्राप्त पेंशन को घटाकर), की पात्रता होगी।

(घ) समिति के सदस्यों को उनके पद के समकक्ष पदाधिकरियों के समान किराये के आवास की पात्रता होगी।

(ङ) अध्यक्ष को एक वाहन, वाहन चालक सहित एवं भृत्य की पात्रता होगी।

(च) समिति के सदस्यों को आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वाहन सुविधा (टैक्सी) उपलब्ध कराई जायेगी।

(छ) अध्यक्ष को कार्यालय एवं आवास में दूरभाष सुविधा की पात्रता होगी। दूरभाष सुविधा पर व्यय सीमा का निर्धारण, पद स्तर के अनुरूप एवं शासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(2) समिति अपना कार्य संचालन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

(3) समिति शुल्क निर्धारण की प्रकिया के लिए प्रक्रिया/निरीक्षण शुल्क प्राप्त करने हेतु प्रकिया का निर्धारण करेगी। शुल्क का उपयोग समिति के विभिन्न कियाकलापो में किया जा सकेगा।

(4) समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित समय–सीमा में आयोजित की जायेगी।

(5) शुल्क निर्धारण की प्रकिया अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विनियम के अन्तर्गत अंगीकृत की जायेगी।

(6) एएफआरसी का सचिवालय संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा।

(7) अध्यक्ष समिति के हित में सभी अन्य आवश्यक कार्यवाहियों का सम्पादन करेगा।

12. **आचरण.**– (1) समिति के सदस्य, प्रत्येक आवधिक बैठक में उपस्थित रहेंगे। समिति के समक्ष कार्यवाहियों के लिए न्यूनतम गणपूर्ति, पांच में से तीन सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

(2) समिति अथवा निरीक्षण दल के सदस्य, संस्था, जिनका निरीक्षण करना हो, वहां के प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुख से सीधे सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे;

(3) समिति अथवा निरीक्षण दल के सदस्य, ऐसे महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं करेंगे जहां उनके रिश्तेदार कार्य करते हों अथवा पढ़ाते हों;

(4) समिति अथवा निरीक्षण दल के सदस्य, निरीक्षण किये जाने वाले संस्थाओं से (नगद में या किसी प्रकार से) कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे।

13. **निर्वचन.**– यदि इन विनियमों के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

14. **अधिकारिता.**– किसी भी विवाद की दशा में, अधिकारिता केवल छत्तीसगढ़ में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता गांधी, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 4th November 2019

NOTIFICATION

No. F - 9-16/2007/T. E./42 .—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, makes the following regulations relating to the fixation of fee in a private unaided Professional Educational Institutions and working process, terms and conditions of the admission and Fee Regulatory Committee, namely:-

REGULATION

1. **Short title and commencement**.- (1) These regulations shall be called the Chhattisgarh Regulation for Fixation of Fee in Private Unaided Professional Educational Institutions and Working process, Terms and Conditions of the Admission and Fee Regulatory Committee Regulations, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh ka Viniyaman avam shulk ka Nirdharan) Adhiniyam 2008 (No. 11 of 2008);

(b) "**Admission and Fee Regulatory Committee**" means the Committee constituted by the State Government under the provisions of the Act for the supervision and guidance of admission process and

for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional Education institution;

(c) "**Fee**" means all fees including tuition fee and development charges.

(2) The words and expressions used but not defined in these regulation shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Applicability.-** These regulations shall be applicable to professional educational institutions covered under the Act.

4. **Criteria for fixation of Fee.-** The Committee shall prescribe the fee in the manner after considering the following factors :-

(a) The location of the private unaided professional educational institution.
(b) The nature of the professional course.
(c) The cost of land and building.
(d) The available infrastructure, teaching, non teaching staff and equipments.
(e) The expenditure on administration and maintenance.
(f) A reasonable surplus required for the growth and development of the professional institution.
(g) Any other relevant factor.

Provided that the Committee may also decide for providing incentive to the accredited course or Quality Certification like ISO: 9002 etc. or weightage for backward/under developed area for promoting professional educational institutions in these areas.

5. **Procedure for fixation of fee.-** (1) At the beginning of each calendar year, preferably in the month of January, the committee shall publish an advertisement inviting by the date specified by it, from the professional educational institutions, their proposals with regard to determination of fee for the ensuing academic session. Provided that if private professional educational institution secures permission from appropriate authority after the aforesaid dates as specified by the committee, it shall be required to approach and submit its proposal to the committee for fixing its interim fee within one month from the dated of securing such permission and in such case, its final fee structure shall be fixed by the committee later as per procedure laid down by the committee, in this behalf.

(2) The private unaided professional educational institution shall be called upon to submit their proposal as provided in sub-regulation (1) above in the proforma prescribed by the committee, by the date to be specified in the advertisement by the committee. Provided that if an institution runs more than one course, such institution shall be required to submit separate proposal for each of the course run and conducted by the said institution.

(3) The proposal by the institution in the proforma prescribed by the committee, shall be accompanied with the following documents:-

(i) The authorization/permission letter issued by the regulatory body;

(ii) Documents and information relating to society and its bye-laws;

(iii) Copy of Project Report for starting the professional educational institutions;

(iv) The physical infrastructure facilities available by the area earmarked for the institution, its title, ownership, the buildings stating the number of classrooms the administrative block room, indoor games(if any) playgrounds, laboratories, generals utilities etc. together with the site plan;

(v) Library Facilities: number of books subject wise, faculty wise and for general reading;

(vi) Reading rooms facilities: number of dailies , weeklies, monthly magazines, periodical professional magazine and literature subscribed in the institution;

(vii) Laboratory facilities: Information regarding equipments and instruments available and in the laboratory;

(viii) Teaching Faculty and Non-teaching supporting staff: Number and names of Professors, Associate Professor, Assistant Professor in junior, senior and selection scale (to be indicated separately) with their educational qualifications and biodata, pay and allowances and total emoluments with PAN and Aadhar No.

(ix) Tie up, if any with a State enterprise public/corporate body engaged in production of items similar to the education proposed to be imparted by the institution.

(x) Financial Standing:

(a) Proposed budget of the institution for a year;

(b) Amount required for annual maintenance of infrastructure;

(c) Amount required for growth, development and upgradation of laboratories;

(d) Deposits- Both fixed and current deposits in the name of the professional educational institution, along with the names of financial institutions and names of Banks;

(e) Sources of funding; and

(f) Loans: if any, taken:

(a) From the bank,

(b) Other financial institutions

(c) Any other sources

Specifying the terms and conditions under which the loan Was granted and also specifying interest payable there on.

(xi) Balance sheet and Income and Expenditure accounts of the institution from the date of inception duly authenticated by a Chartered Accountant.

(xii) The balance sheet and accounts, as submitted to the Income Tax department. Relating to the concerned period.

(xiii) Such other documents, as may be asked for by the committee, from time to time.

(4) The documents and the proposal as above shall be supported by an affidavits worn by authorized person on behalf of the institution.

(5) Committee adhering to the settled principle of accounts shall evolve its own procedure for fixation of its fee and will accord an opportunity of hearing to the institution, before fixing its fee structure, for one or more courses conducted or run by the institution.

(6) The institution along with their proposal for fixation of fee for each course shall be required to pay in the manner as directed by the committee, the processing fee as may be prescribed by the committee from time to time.

(7) Inspection of institutions and Constitution of Inspection Team:-

(i) The committee, after it receives the fee proposal, may in its discretion and if it deems fit, inspect the institution itself or constitute an inspection team so as to inter-alia make spot assessment and verification of the facts and particulars stated by the institution in its proposal.

(ii)For the purposes of carrying out inspection, the committee may constitute a team to be called "Inspection Team" which would preferably and as far as possible would be constituted as below:-

(a) The team may be accompanied by an eminent educationalist preferably of the rank of Professor of the University or College in the relevant course for which fee fixation is sought by the institution, to be nominated by the Chairman of the committee, from the panel approved by the committee and he shall act as a head.

(b) A Member Finance/chartered Accountant of repute, well versed with audit of accounts of educational institutions, to be nominated by the Chairman of the committee from the panel approved by the committee, shall be a member to the committee.

(c) An officer from the committee's secretariat, to be nominated by the Chairman of the committee, who shall act as Member Secretary of the inspection team.

(d) Such other member/members as may be considered appropriate and appointed by the committee.

6. **Working of Inspection Committee.-** (1) The inspection team may call for such record from the institution, as it considers necessary by requisition in writing and such requisition shall be treated as if it was issued by the committee.

(2) The inspection team may also record its opinion, oral/written evidence of such persons who may be aware of the affairs of or relating to the institution. The oral evidence shall be recorded by the inspection team and shall be submitted along with its report to the committee.

(3) The association of teachers/ students may be permitted by the Inspection team making counter submission before it. An opportunity of being heard to such association may also be granted by the Inspection team.

(4) After completion of inspection, the inspection team shall submit its report to the Secretariat of committee through the Secretary/OSD of AFRC, who shall submit the same along with his note to the AFRC.

(5) The Chairman, if he consider necessary, may order that the report of the Inspection team and the documents submitted along with it may be verified by the C.A. or Member Finance of AFRC appointed by the committee for the purpose.

(6) After consideration of report of the Inspection team along with documents submitted therewith and the verification report of the C.A. or Member Finance of AFRC as also the note submitted by the committee secretariat, the committee shall then decide as to what fee can be justifiably fixed for the institute, for the course/courses, conducted by it.

(7) The committee shall have authority to fix such fee of the private unaided professional institute as it deems fit, who do not submit proposal for fixation of fee, as per the procedure laid down above.

7. **Appointment of Chartered Accountant for checking data information of the Institution, Inspection team etc.-** (1) The committee may appoint C.A. or Member finance A.F.R.C. for checking the various data/information furnished by the institution.

(2) The C.A. or Member Finance of AFRC so appointed shall check the correctness of the data information furnished by the institution with reference to the documents submitted by them as well as audit report submitted therewith as also the accounts of the Trust/Society running the institution, also taking into consideration documents submitted by the institution along with its proposal and also such other documents or material as the committee may direct or the CA may consider necessary after seeking approval of the committee.

(3) To clarify, the C.A. or Member Finance of AFRC shall give emphasis to the appointment of the common cost incurred by the Society/Trust running more than one institution. Irregularity, discrepancy or omissions if any, found on the basis of scrutiny of the information/data/documents submitted by the institution, shall be clearly stated in the report of the C.A. or Member Finance of AFRC.

(4) On receiving the report of the C.A. or Member Finance of AFRC the committee may, in its discretion draw the attention of the concerned Institution /Society/Trust towards irregularities, discrepancies or otherwise noticed by the committee and may ask such institution to submit its representation in respect thereof. Further that if the committee is of the opinion that the irregularities, discrepancies or omissions are of such nature or magnitude which goes to vitiate the whole process of fee fixation, it may reject the proposal of the institution and fix the fee as it considers necessary, besides taking penal action against such Society/Trust/Institution, including prosecution.

8. **Fixation of Fees and Other Charges.-** (1) The committee, on consideration of the proposal, documents by the institutions and the report of the C.A. or Member Finance of AFRC etc. as referred above, shall determine the fee chargeable by an institution, keeping in view the provisions of the Act. The fee fixed by the committee shall have the following components:-

(a) Tuition fee;
(b) Growth and development fee;
(c) Registration fee;
(d) Contribution from book bank;
(e) Bus fee/charges;
(f) Training and entrepreneurship development career guidance and placement cell;
(g) Medical insurance fee;
(h) Sports fee;
(i) Fee for cultural activities;
(j) Identity and Library card fee;
(k) Hostel Room rent (only for hostellers);
(l) Mess charges (only for hostellers);
(m) Caution money for the entire course;
(n) University fee shall be applicable as decided by the concerning University from time to time;
(o) Any other fee considered reasonable by the Committee.

(2) Private Professional Educational Institution shall compulsorily issue an official receipt for all amounts recovered towards fee, deposit or any other charges realized by it specifying the head under which the same was realized. Any amount realized from students without issuance of receipt as laid down above, would amount to charging of capitation fee; which would render the institution liable for suitable action, in that regard.

(3) No private professional educational institution shall collect more than a Semester's fee and other charges from the students. The students shall also be at liberty to deposit the annual tuition fee in two installments, provided that if the institution collects more fee than the fee fixed for one year, the same shall be constructed as realization of capitation fee, which would render the institution to be proceeded against, for doing so.

(4) The fee payable as per students per annum for each institution shall be prescribed by the committee and shall normally be binding for period of 3

years, but in event of circumstances like exceptional pay revision, change in government policy, Institution can apply a fresh stating the reasons. The fee so determined shall be applicable to a candidate who is admitted to an institution in that academic year and shall normally not be revised till the completion of his/her course in the said institution.

9. **Charging of Capitation Fees.-** Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no capitation fee shall be demanded or collected by or on behalf of any educational institution or by any person who is incharge of or is responsible for, the management for such institution from or in relation to any student in consideration of his/her admission to and prosecution of any course of study or his/her promotion to a higher standard or class in such institution.

10. **Redressal of complaints and penal/disciplinary action.-** The committee may hear complaints with regard to admission in contravention of the provisions contained herein, collecting of capitation fee or fee in excess of fee determined and on proof of any violation of the provisions for admission or collection of capitation fee etc. on the part of the professional colleges or institution, it shall make appropriate recommendations for returning any excess amount collected to the person concerned and may also recommend to the Government to impose a fine up to rupees ten lakhs and the Government may on receipt of such recommendation, impose the fine and collect the same or decide any other course of action, as it deem fit. The amount of fine so imposed together with interest thereon shall be recovered, as if it is arrears of land revenue.

11. **Working terms and condition of the committee.-** (1) The Chairperson and members of the committee shall be entitled to salary/honorarium, perquisites, privileges etc., (as determined by the State Government) shall be as follows:-

(a) Chairperson of the committee shall be entitled for the pay, dearness allowance and compensatory allowances of the post occupied prior to retirement (minus pension received);

(b) Chairperson shall be entitled for the rented house at par the office bearers equivalent to his/her post;

(c) The non-government member of AFRC shall be entitled for consolidated pay per month as prescribed by the government and the retired government servant shall be entitled for the pay of the post occupied prior to retirement (minus pension received);

(d) Members of the committee shall be entitled for the rented house at par the office bearers equivalent to his/her post;

(e) Chairperson shall be entitled for a vehicle with driver and a peon;

(f) The member of the committee as and when it is required shall be entitled for vehicle (Taxi) as per the norms from time to time prescribed by finance department;

(g) Chairperson shall be entitled for telephone facility in office and residence. The expenditure limit on telephone facility shall be fixed as per the level of the post and as per norms prescribed by the Government.

(2) The Committee may frame its own procedure to transact its business.

(3) Committee shall decide procedure for receiving processing /inspection fee for processing the fee fixation process. The fee may be used for various activities of the committee.

(4) Committee shall meet in the time limit as decided by the Chairman.

(5) The procedure for fixation of fees shall be adopted under the direction of Chairman in accordance with regulation.

(6) The Secretariat of AFRC shall work in the Administrative control of the Director, Diretctorate of Technical Education, Chhattisgarh.

(7) The Chairman shall perform all other necessary work in the interest of the Committee.

12. **Conduct.-** (1) The member of the committee shall be present in every periodical meeting. The minimum Quorum for the proceedings before the committee shall be presence of three members out of five.

(2) Members of the committee or inspection team shall not contact directly with the Principal or Head of institution to be inspected.

(3) Member of the committee or inspection team shall not inspect the college where their relatives are working or teaching.

(4) Member of the committee or inspection team shall not receive any benefit from the institution to be inspected (in cash or kind).

13. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to State Government whose decision there on shall be final.

14. **Jurisdiction.-** In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAMRATA GANDHI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.